

राजस्थान - सरकार

शिक्षा - विभाग

निदेशालय, कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर

क्रमांक: एफ1(70)स्था/आकाशि/06/1246

दिनांक: 15 फरवरी, 2013


आदेश

विभिन्न राजकीय महाविद्यालय मे कार्यरत संविदा व्याख्याताओं को रुपये 7,950/- प्रतिमाह की दर से माह जनवरी, 2012 से फरवरी 2013 तक (ग्रीष्मावकाश अवधि को छोड़ कर) के पारिश्रमिक का भुगतान निम्नानुसार आयोजना भिन्न बजट मद से किये जाने की स्वीकृति एतद् द्वारा प्रदान जाती है:-

क्र.स.	महाविद्यालय का नाम	संविदा व्या. संख्या	भुगतान बजट मद
1	आबूरोड	3	2202-03-103-(02) (00) 01 संवेतन
2	अजमेर	1	2202-03-103-(02) (00) 01 संवेतन
3	बांसवाडा	9	2202-03-103-(02) (00) 01 संवेतन
4	बारा	7	2202-03-103-(02) (00) 01 संवेतन
5	बाडमेर	1	2202-03-103-(02) (00) 01 संवेतन
6	भरतपुर	1	2202-03-103-(02) (00) 01 संवेतन
7	भीलवाडा	6	2202-03-103-(02) (00) 01 संवेतन
8	बीकानेर	2	2202-03-103-(02) (00) 01 संवेतन
9	बूंदी	4	2202-03-103-(02) (00) 01 संवेतन
10	चित्तौड़गढ़	4	2202-03-103-(02) (00) 01 संवेतन
11	धौलपुर	1	2202-03-103-(02) (00) 01 संवेतन
12	डूंगरपुर	12	2202-03-103-(02) (00) 01 संवेतन
13	गंगापुरसिटी	2	2202-03-103-(02) (00) 01 संवेतन
14	हनुमानगढ़	2	2202-03-103-(02) (00) 01 संवेतन
15	जैसलमेर	2	2202-03-103-(02) (00) 01 संवेतन
16	जालोर	3	2202-03-103-(02) (00) 01 संवेतन
17	झालावाड	6	2202-03-103-(02) (00) 01 संवेतन
18	झुंझुनू	1	2202-03-103-(02) (00) 01 संवेतन
19	करौली	1	2202-03-103-(02) (00) 01 संवेतन
20	केकडी	1	2202-03-103-(02) (00) 01 संवेतन
21	खेतड़ी	1	2202-03-103-(02) (00) 01 संवेतन
22	कोटा	5	2202-03-103-(02) (00) 01 संवेतन
23	नाथद्वारा	2	2202-03-103-(02) (00) 01 संवेतन
24	पाली	1	2202-03-103-(02) (00) 01 संवेतन
25	प्रतापगढ़	3	2202-03-103-(02) (00) 01 संवेतन
26	राजसमन्द	2	2202-03-103-(02) (00) 01 संवेतन
27	शाहपुरा	4	2202-03-103-(02) (00) 01 संवेतन
28	सीकर	1	2202-03-103-(02) (00) 01 संवेतन
29	सिरोही	1	2202-03-103-(02) (00) 01 संवेतन
30	श्रीगंगानगर	2	2202-03-103-(02) (00) 01 संवेतन
31	बांसवाडा कन्या	3	2202-03-103-(02) (00) 01 संवेतन
32	बारा कन्या	4	2202-03-103-(03) (00) 01 संवेतन
33	भीलवाडा कन्या	1	2202-03-103-(03) (00) 01 संवेतन
34	बीकानेर कन्या	2	2202-03-103-(03) (00) 01 संवेतन
35	झालावाड कन्या	3	2202-03-103-(03) (00) 01 संवेतन
36	कोटा कन्या	5	2202-03-103-(03) (00) 01 संवेतन
37	श्रीगंगानगर कन्या	2	2202-03-103-(03) (00) 01 संवेतन
38	उदयपुर कन्या	1	2202-03-103-(03) (00) 01 संवेतन
39	आमेर	1	2202-03-103-(02) (00) 01 संवेतन
40	बांदीकुई	1	2202-03-103-(02) (00) 01 संवेतन

क्र.स.	महाविद्यालय का नाम	संविदा व्या. संख्या	भुगतान बजट मद
41	भवानीमण्डी	2	2202-03-103-(02) (00) 01 संवेतन
42	भीम	1	2202-03-103-(02) (00) 01 संवेतन
43	भीनमाल	1	2202-03-103-(02) (00) 01 संवेतन
44	भोपालगढ	1	2202-03-103-(02) (00) 01 संवेतन
45	कैलवाडा	2	2202-03-103-(02) (00) 01 संवेतन
46	कोटडा	1	2202-03-103-(02) (00) 01 संवेतन
47	कुशलगढ	1	2202-03-103-(02) (00) 01 संवेतन
48	मेडतासिटी	1	2202-03-103-(02) (00) 01 संवेतन
49	नादोती	5	2202-03-103-(02) (00) 01 संवेतन
50	निम्बाहेडा	1	2202-03-103-(02) (00) 01 संवेतन
51	सागवाडा	1	2202-03-103-(02) (00) 01 संवेतन
52	सरदारशहर	1	2202-03-103-(02) (00) 01 संवेतन
53	शिवगंज	2	2202-03-103-(02) (00) 01 संवेतन
54	सूरतगढ	1	2202-03-103-(02) (00) 01 संवेतन
55	बालोतरा कन्या	1	2202-03-103-(03) (00) 01 संवेतन
56	बून्दी कन्या	1	2202-03-103-(03) (00) 01 संवेतन
57	बयाना कन्या	5	2202-03-103-(03) (00) 01 संवेतन
58	चित्तौडगढ कन्या	1	2202-03-103-(03) (00) 01 संवेतन
59	दौसा कन्या	1	2202-03-103-(03) (00) 01 संवेतन
60	डूंगरपुर कन्या	2	2202-03-103-(02) (00) 01 संवेतन
61	जैसलमेर कन्या	1	2202-03-103-(03) (00) 01 संवेतन
62	जालौर कन्या	2	2202-03-103-(03) (00) 01 संवेतन
63	करौली कन्या	2	2202-03-103-(03) (00) 01 संवेतन
64	सिरोही कन्या	1	2202-03-103-(03) (00) 01 संवेतन

यह स्वीकृति वित्त विभाग की ID संख्या 151300054 दिनांक 13.02.2013 के अनुसरण में जारी की जाती है।


(नवीन जैन)
निदेशक

क्रमांक:एफ1(70)स्था/आकाशि/06/1246

दिनांक 15 फरवरी, 2013

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. निजी सचिव, निदेशक कालेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर।
2. सम्बन्धित प्राचार्य, राजकीय महाविद्यालय को प्रेषित कर लेख है कि वह एक सप्ताह में संविदा व्याख्याताओं की देयता का भुगतान कर निदेशालय को सूचित करें। साथ ही यह भी निर्देशित किया जाता है कि यदि आपके महाविद्यालय में ऐसे संविदा व्याख्याता कार्यरत है जिन्हें पूर्व में अन्य महाविद्यालय से कार्यमुक्त कर दिया गया था एवं पुनः माननीय न्यायालय के निर्देशानुसार आपके महाविद्यालय में संविदा पर रखा गया है, के पूर्व महाविद्यालय से उपस्थिति संबंधी दस्तावेज एवं पूर्व में भुगतान नहीं होने का प्रमाणपत्र प्राप्त कर सम्बन्धित अवधि का वेतन भुगतान आपके महाविद्यालय से करें।
3. डॉ. धीरेन्द्र देवर्षि, प्रभारी विभागीय वैबसाईट।
4. विधि शाखा।
5. रक्षित पत्रावली।



(आर.एस.मक्कड)
अतिरिक्त निदेशक